अध्याय - IV

सड़क विकास

राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तथापि, राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि से अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनिंदा राज्यीय सड़कों के लिए भी धनराशि प्रदान करती है। यह विभाग सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक व विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

4.1.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 65,569 कि.मी. है जिसके लिए संवैधानिक रूप से भारत सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची **अनुबंध - IV** में दी गई है।

4.1.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता की कमी, मार्ग की बाह्य सतह, ज्यामिती और सुरक्षा कारकों जैसी कई खामियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर अपेक्षा के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देकर वर्तमान राजमार्गों को चौड़ा और सुदृढ़ करके, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करके और चुनिंदा आधार पर बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। यद्यपि, सरकार, राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजट आबंटन उपलब्ध करा रही है और उच्च सघनता वाले मार्गों को उन्नत बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त धनराशि आबंटित कर पाना संभव नहीं हुआ है। सड़क विकास के भौतिक कार्यक्रमों हेतु और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली धनराशि से कुछ हद तक मांग और आपूर्ति के बीच की कमी की पूर्ति होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

4.1.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

4.1.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा 1988 में अधिनियमित किया गया था जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया था जिसे केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995 में प्रचालन में आया, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई।

4.1.6 प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है और इसमें अधिक से अधिक पांच

पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य हैं । इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। पूर्णकालिक सदस्य ये हैं -

i) सदस्य (प्रशासन)

ii) सदस्य (वित्त) और

iii) सदस्य (तकनीकी)

अंशकालिक सदस्य ये हैं -

i) सचिव - सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

ii) सचिव - व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)

iii) सचिव - योजना आयोग और

iv) महानिदेशक (सड़क विकास), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

4.1.7 इस प्राधिकरण ने 10 फरवरी, 1995 से कार्य करना शुरू किया और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री योगेन्द्र नारायण थे ।

इस अधिनियम के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्य निम्नानुसार हैं :-

क) सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन कार्य।

ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर फीस वसूलना, राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित प्रबंधन के लिए चलने वाले वाहनों को नियंत्रित और विनियमित करना।

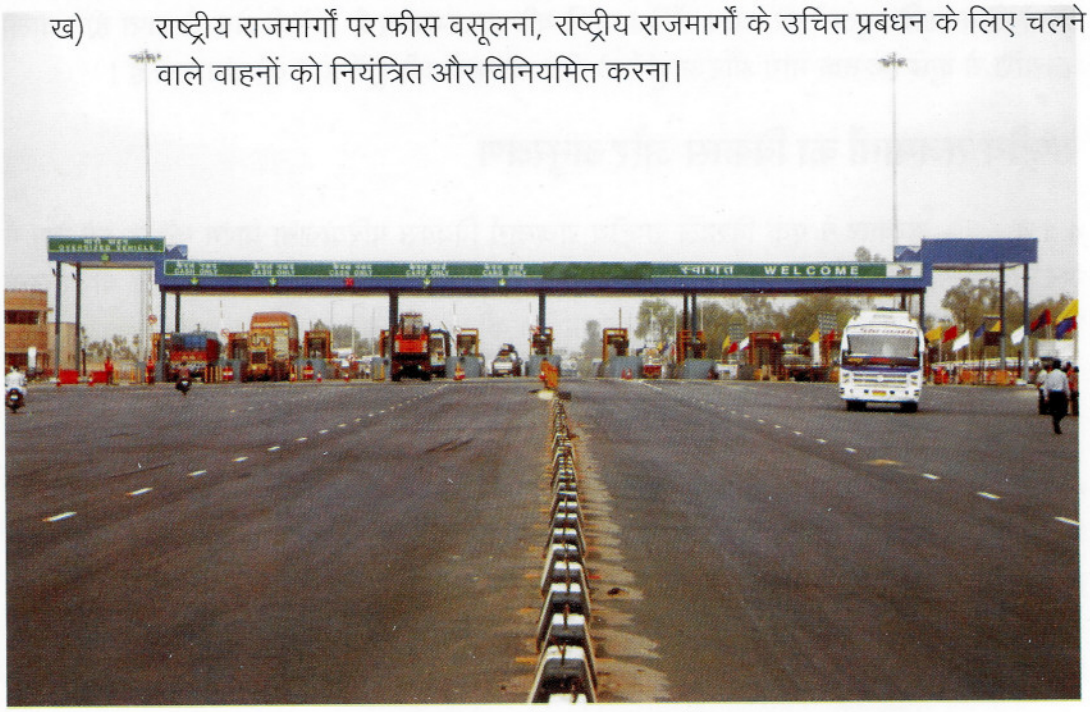

रा. रा. –8 का जयपुर–किशनगढ़ पर टॉल प्लाजा

ग) भारत में और विदेश में परामर्श और निर्माण सेवाएं विकसित करना तथा मुहैया कराना और राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन अथवा तत्संबंधी अन्य सुविधाओं के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलाप करना ।

घ) राजमार्गों से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना ।

ङ) किसी राज्य सरकार को राजमार्गों के विकास से संबंधित योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार सहायता देना ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I

4.1.8 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I में स्वर्णिम चतर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग और पत्तन सड़क संपर्क तथा अन्य परियोजनाएं शामिल हैं । चरण-I में कुल लंबाई 7498 कि.मी. है यानी स्वर्णिम चतर्भुज की 5846 कि.मी., उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम महामार्ग की 981 कि.मी. और पत्तन सडक तथा अन्य परियोजनाओं की 671 कि.मी. लंबाई शामिल है । 31 दिसंबर, 2005 तक, स्वर्णिम चतुर्भुज की 5154 कि.मी. लंबाई (88.2%) पूरी कर ली गई है । संभावना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का 96% कार्य जून, 2006 तक पूरा हो जाएगा । केवल वे ही कार्य जो इलाहाबाद संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के कारण विलम्ब (पहला ठेका जून, 2004 में सौंपा गया और दूसरा नवम्बर, 2004 में सौंपा गया) से सौंपे गए और समाप्त किए गए ठेकों के कार्य ही जून, 2006 के बाद अधूरे रहेंगे। 31 दिसंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग का 797 कि0 मी0 (81 प्रतिशत) कार्य पूरा हो गया है । 31 दिसंबर , 2005 की स्थिति के अनुसार पत्तन सड़क संपर्क और अन्य परियोजनाओं के 386 कि.मी. (56%) का कार्य पूरा हो गया है । 31 दिसंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I की पूरी की गई सड़कों की लंबाई 6337 कि.मी. (84.5 %) है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II

4.1.9 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II में मुख्यतया उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम महामार्गों की 6240 कि.मी. और दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की 596 कि.मी. सड़कें शामिल हैं । दिसंबर, 2005 के अंत तक उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम महामार्ग की 4490 कि.मी. सड़कें पूरी हो गई हैं । यह संभावना है कि सभी कार्यों में से केवल पश्चिम बंगाल में पूर्व-पश्चिम महामार्ग की 201 कि.मी. सड़कें और जम्मू और कश्मीर में उत्तर-दक्षिण महामार्ग की 318 कि.मी. सड़कों का कार्य सौंपने में ही विलंब होगा । यह विलंब पश्चिम बंगाल में पूर्व पश्चिम महामार्ग के पुनः संरेखण और जम्मू और कश्मीर में भौगोलिक कठिनाइयों और तकनीकी जटिलताओं की वजह से होगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III

4.1.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में भारी यातायात वाले और राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा आर्थिक और पर्यटक महत्व के स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं । इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,000 कि.मी. है ।

अहमदाबाद–वडोदरा एक्सप्रैसवे

4.1.11 सरकार द्वारा 5 मार्च, 2005 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क के अंतर्गत 22,000 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से बी ओ टी आधार पर 4000 कि.मी. में 4 लेन बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II ख के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी अनुमोदन भी दिया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क के अंतर्गत दिसंबर, 2005 तक 926 कि.मी. लंबाई को कवर करते हुए अब तक 15 ठेके सौंपे जा चुके हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II क को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का प्रस्ताव है ।

4.1.12 इस समय महत्वपूर्ण कार्य ठेकों को सौंपना है । वर्ष 2005 के दौरान 5429 कि.मी. लंबाई के ठेके दिए गए, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के शुरू होने से अब तक के उच्चतम ठेके हैं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

4.1.13 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुदूर स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार करना है । इस कार्यक्रम में लगभग 3251 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 2/4 लेन का बनाने, लगभग 2500 कि.मी. राज्यीय सड़कों तथा सामरिक महत्व की 1888 कि.मी. सड़कों को दो लेन का बनाने/सुधारने की परिकल्पना है । इससे 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 85 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा सकेगा ।

4.1.14 इस प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 12,123 करोड़ रु. है जिसमें बजट सहायता 9952 करोड़ रु. और 2171 करोड़ रु. निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुटाए जाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम को 3 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा ।

- चरण क - इसमें 4618 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 1110 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 200 कि.मी. राज्यीय/जनरल स्टाफ सड़कें शामिल हैं ।
- चरण ख - इसमें 5920 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत पर 2141 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 2981 कि.मी. राज्यीय/जनरल स्टाफ सड़कों का सुधार शामिल है ।
- चरण ग - इसमें 1585 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 1027 कि.मी. राज्यीय सड़कों के निर्माण और सुधार की परिकल्पना है ।

4.1.15 सरकार ने हाल ही में चरण-क के कार्यान्वयन और चरण-ख में सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

राज्यीय लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग

4.1.16 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग की लगभग 49322 कि.मी. सड़कें हैं जिनका विकास और अनुरक्षण कार्य इस समय संबंधित राज्यों की लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण III से VII और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण क के अधीन कार्यों की मंजूरी से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के पास राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में और वृद्धि हो जाएगी । वर्ष 2005-06 के दौरान उन सड़क खंडों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन शामिल नहीं किए गए, के संबंध में 31 दिसंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार कुल 870.51 करोड़ रु. की लागत से आई आर क्यू पी के अधीन 55 कार्यों सहित 318 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है । आई आर क्यू पी के अधीन 1842 कि.मी. लंबाई के सुधार कार्य और 65 पुलों के पुनर्निर्माण/निर्माण कार्य पूरा करने के अतिरिक्त एकल लेन वाले 638 कि.मी. के राजमार्गों को दो लेन का बनाया गया है जबकि दो लेन वाले 420 कि.मी. राजमार्गों का सुदृढीकरण किया गया है । वर्ष 2005-06 के दौरान 2082.30 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है (इसमें राज्य सरकारों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए पुलों पर उपयोक्ता शुल्क (स्थायी पुल शुल्क निधि) के संग्रहण के माध्यम से सृजित संसाधनों से राज्यों को किए गए आबंटन शामिल हैं) । राज्य लोक निर्माण विभागों तथा सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उन्हें वर्ष 2005-06 के दौरान क्रमशः 847.14 करोड़ रु. और 22 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है । वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन **अनुबंध - V** में दिए गए हैं ।

केंद्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के लिए स्वीकृति

4.1.17 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय सडक निधि के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2005 तक

रा. रा.–5 पर राजामुंदरी–धर्मावरम खंड

राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1410.06 करोड़ रु. की लागत के 510 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के तहत स्वीकृति

4.1.18 चालू वर्ष 2005-06 के दौरान अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के तहत राज्यीय सड़कों के लिए 170.59 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है और 31 दिसंबर, 2005 तक 186.99 करोड़ रु. के 49 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।

कठिनाइयां

इस परियोजना को कार्यान्वित करते समय कई कठिनाइयां आईं जो निम्नवत हैं -

- **भूमि अधिग्रहण** - कई राज्यों में, प्रक्रियागत औपचारिकताओं, अदालती मामलों तथा संबंधित राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलंब हुआ है।
- **वन एवं पर्यावरण अनुमतियां** - केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वन अनुमतियां प्राप्त करने में काफी विलंब हुआ है।
- **आर ओ बी डिजाइनों के लिए रेलवे की अनुमति** - रेलवे की लेवल क्रासिंग से स्वर्णिम

चतुर्भुज को मुक्त करने के लिए 84 रेल ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज बनाए जाने हैं। रेलवे से अनुमतियां/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेलवे के कई विभागों से संपर्क करना पड़ता है । इस तरह आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

- **सुविधाओं के स्थनांतरण -** इलैक्ट्रिक लाइन, पानी के पाइप लाइन, सीवर लाइन, दूर संचार लाइनों जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को संबंधित सुविधा प्रदाता एजेंसी की सहायता से स्थानांतरित करने में बहुत ज्यादा समय लगा।

- **कानून और व्यवस्था की समस्या -** कानून और व्यवस्था की बदतर स्थिति तथा असामाजित तत्वों की गतिविधियों के कारण कई राज्यों में कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है । बिहार और झारखंड राज्यों में कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या थी जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (दिल्ली-कोलकाता महामार्ग) के कार्य की प्रगति प्रभावित हुई । इसके अतिरिक्त, स्थानीय जनता द्वारा और अधिक भूमिगत पारपथों/बाइपासों, फ्लाईओवरों की मांग किए जाने के कारण बार-बार काम को रोकना पड़ा ।

- **कुछ ठेकेदारों का घटिया कार्य निष्पादन -** कुछ ठेकेदारों का कार्य निष्पादन बहुत घटिया रहा । इस घटिया कार्य निष्पादन का मुख्य कारण नकदी आप्रवाह की समस्या रही । इन ठेकों को समाप्त किए जाने के कारण प्रायः लंबे समय तक मुकदमें चले और कार्य पूरा करने में और अधिक विलंब हुआ ।

4.1.19 वर्ष 2005-06 के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 9496 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसके ब्योरे निम्नलिखित हैं-

तालिका 5.1

केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन

(करोड़ रु)

1.	राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	1535.36
2.	अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	170.59
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	3269.74
4.	ग्रामीण सड़कें	3809.5
5.	रेलवे	710.81
	जोड़	**9496.00**

राज्यीय सड़कें

4.1.20 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त जमा धनराशि 60% ईंधन की खपत और

40% भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न राज्यों को आबंटित की जाती है ।

4.1.21 वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के संबंध में जमा और जारी धनराशि का सारांश इस प्रकार है :-

तालिका 5.2

जमा धनराशि और जारी की गई धनराशि

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
	जमा	जारी	जमा	जारी	जमा	जारी
करोड़ रु0	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003-04		2004-05		2005-06	
	जमा	जारी	जमा	जारी	जमा	जारी *
करोड़ रु0	910.76	778.94	868.00	738.36	1535.36	1043.58

* सितंबर, 2005 तक

अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमें

4.1.22 अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमें केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 बनाए जाने से पहले भी विद्यमान थी, जब केंद्रीय ऋण सहायता से केवल छोटे कार्यक्रम ही स्वीकृत किए जाते थे । अब केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार इस स्कीम को विनियमित किया गया है । अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण (ऋण के बजाए) प्रदान किया जाता है । आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50- 50% तक वित्त पोषण किया जाता है ।

अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के तहत स्वीकृति

4.1.23 इस विभाग ने, दिसंबर, 2005 तक आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 242.86 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 485.71 करोड़ रु0 के 92 प्रस्तावों तथा अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत 669.14 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 672.42 करोड़ रु0 के 140 प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

4.1.24 इस स्कीम के अंतर्गत दिसंबर, 2005 तक 192.74 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 234.28 करोड़ रु0 के 35 प्रस्तावों को चालू वर्ष के दौरान सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान

व्यापक कार्यकलाप

4.1.25 राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान के व्यापक कार्यकलाप इस प्रकार हैं :-

रा.रा.–8 दिल्ली–जयपुर खंड

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के नवनियुक्त राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना ।

(ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के इंजीनियरों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन ।

(ग) वरिष्ठ स्तर के इंजीनियरों के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम ।

(घ) स्वदेशी और विदेशी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास ।

4.1.26 राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से (30 नवम्बर, 2005 तक) 486 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों के सड़क विकास के कार्य में लगे 11,346 राजमार्ग इंजीनियरों और प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया है । ये प्रतिभागी पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से आते हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, सार्क तथा कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोगी स्कीम में विदेशों के सरकारी विभागों के इंजीनियरों ने भी भाग लिया है । इसने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है ।

रा.रा.–8 पर सूरत–मेनोर खंड